संख्याः 328995 E-51940/FCD/IRFC/FFCG/6/2025

प्रेषक,

गंगा प्रसाद,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 ::देहरादूनः: दिनांकः 10 सितम्बर, 2025

विषयः– 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को आबद्ध अनुदान/निर्दिष्ट अनुदान **(Tied Grant)** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में अंतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं– F-9(3)/FCD/2025-Part (1), दिनांकः 02.09.2025 द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में आबद्ध अनुदान/निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम किश्त हेतु रू0 5911.44 लाख (रू0 उनसठ करोड़ ग्यारह लाख चवालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में भारत सरकार के उपर्युक्त शासनादेश दिनांकः 02.09.2025 द्वारा आबद्ध अनुदान/निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त रू0 5911.44 लाख (रू0 उनसठ करोड़ ग्यारह लाख चवालीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्न फॉट एवं संलग्न विवरणानुसार (संलग्नक–1) संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित किये जाने हेतु आपके निवर्तन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क.सं.	निकाय का नाम	टाईड अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम किश्त का वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रस्तावित अंतरण (रू0 हजार में)
1–	नगर निगम	315510
2–	नगर पालिका परिषद	223289
3–	नगर पंचायत	52345
	योग	**591144**

3– उपर्युक्त अनुदान की धनराशि समस्त शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अन्तर्गत अंतरित की जानी हैः–

(1) वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 266/(वि.आ.निदे.)/ xxvii(1)/ 2022, दिनांकः 02.05.2022 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों एवं विभागीय पत्रावली में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों से संबंद्ध इकाईयों को अनुदान की धनराशि का अंतरण किया जा रहा है।

(2) निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर संलग्न विवरणानुसार समस्त शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों) को तत्काल हस्तान्तरित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में अनुदान की धनराशि निदेशालय स्तर पर रोकी नहीं जायेगी।

No. FCD-IRFC/FFCG/6/2023-FCD-Finance Department (Computer No. 51940)
...orated from eOffice by KAILASH CHANDRA BATURI, RO-Finance Section I-KCB, RO-FINANCE, Finance Department on 10/09/2025 10:33 am

(3) अंतरित की जा रही धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने की तिथि दिनांकः 02.09.2025 से 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित निकायों को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब की स्थिति में ब्याज सहित धनराशि का भुगतान किश्त के साथ संबंधित निकायों को किया जायेगा, जिसके लिये *निदेशक, शहरी विकास विभाग/ संबंधित मुख्य कोषाधिकारी* पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(4) आबद्ध/ निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) को दो बराबर भाग में (50-50 प्रतिशत) विभाजित कर निम्नवत उपयोग किया जायेगाः–

a) अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि का पेयजल (वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण सहित) हेतु किया जायेगा।

b) अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय **(MoH & UA)** द्वारा विकसित स्टार रेटिंग की प्राप्ति के लिए किया जायेगा।

(5) भारत सरकार द्वारा कुल 111 निकायों में से प्रवेश स्तरीय शर्ते पूर्ण करने वाली 69 निकायों के लिये धनराशि अवमुक्त की गई है। 42 निकायों, जिनके द्वारा प्रवेश स्तरीय शर्ते पूर्ण नहीं की गई, उनके लिये धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है। तद्नुसार ही निकायों को अनुदान की धनराशि अंतरित की जा रही है, जिसकी सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(6) वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संस्तुत अनुदान की धनराशि प्राप्त करने हेतु शत् प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों के पिछले वर्ष के गैर–लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा ऑनलाइन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि उस बर्ष में पूर्ण अनुदान की धनराशि प्राप्त हो सके।

(7) संपत्ति कर की न्यूनतम दरों को अधिसूचित करने तथा उसे 2021–22 में उसका प्रचालन की संगत व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) किसी वर्ष के अनंतिम वार्षिक लेखाओं को प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष के लिए 15 मई तक रियल टाइम आधार पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। उदाहरण के लिए 2020–21 के लिए ऑनलाइन अनंतिम वार्षिक लेखाओं को 15 मई, 2021 तक उपलब्ध कराना होगा।

(9) वर्ष 2023–24 तथा आगे के वर्षो में अनुदान की धनराशि प्राप्त करने हेतु पात्रता निम्नवत निर्धारित की गई हैः–

i. राज्य स्तर पर 2022–23 तक संपत्ति कर दर की न्यूनतम मूल्य दर अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

ii. पिछले वर्ष के गैर–लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा ऑनलाइन लेखा उपलब्ध हैं।

iii. शहरी स्थानीय निकाय ने राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर के अनुरूप संग्रह में लगातार सुधार लाने की शर्त को पूरा कर लिया है।

(10) स्थानीय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकड़ों की प्रमाणिकता के संबंध में शहरी विकास विभाग/ संबंधित निकाय उत्तरदायी होगा।

No. FCD-IRFC/FFCG/6/2023-FCD-Finance Department (Computer No. 51940)
created from eOffice by KAILASH CHANDRA PATHRI, PO Finance Section-I KCR, PO FINANCE, Finance Department on 10/09/2025 10:22 am

(11) अंतरित धनराशि के संबंध में शहरी विकास विभाग द्वारा निर्धारित एनेक्सर–I व II पर (समस्त शहरी स्थानीय निकाय) संकलित सूचना विभागीय सचिव से हस्ताक्षर कराकर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) अंतरित की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योमेंट) नियमावली–2025 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(13) वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150) 2019/ 2025, दिनांकः 31 मार्च, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित निकाय के मुख्य नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांकः 31 मार्च, 2026 तक निदेशक, शहरी विकास विभाग को प्राप्त हो जाने चाहिए। निकायों द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि का पूर्ण सदुपयोग करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) शहरी विकास निदेशालय द्वारा समस्त शहरी स्थानीय निकायों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर, संकलित उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(17) शहरी विकास विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से कतिपय नई नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायतें गठित की गई हैं। उक्त निकायों को भी निर्धारित प्रक्रियानुसार 15वें वित्त आयोग की धनराशि अंतरित की जा रही है। *नई निकायों के सम्मिलित होने तथा भारत सरकार से संस्तुत अनुदान के सापेक्ष कटौती किये जाने के दृष्टिगत निकायों को अंतरित की जा रही धनराशि में कमी/ वृद्धि हो सकती है। इस संबंध में निकायों द्वारा कोई प्रत्यावेदन अथवा दावा नहीं किया जायेगा और ना ही इस पर कोई विचार किया जायेगा।*

(18) 15वें वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर "15वॉ वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य", निर्माण कार्य का वर्ष एवं योजना की लागत अवश्य इंगित की जायेगी।

(19) वित्तीय वर्ष 2025–26 आयोग की अवार्ड अवधि का अन्तिम वर्ष है। उक्त के दृष्टिगत 15वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान की पूर्ण धनराशि प्राप्त करने हेतु शहरी विकास विभाग द्वारा प्रवेश स्तरीय शर्ते पूर्ण करने हेतु तत्परता के साथ कार्यवाही करना सुनिश्चित करना होगा। यदि प्रवेश स्तरीय शर्ते समय से पूर्ण नहीं की जाती है और इसके कारण कोई धनराशि लैप्स होती है, तो इसके लिये शहरी विकास विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

(20) अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

: No. FCD-IRFC/FFCG/6/2023-FCD-Finance Department (Computer No. 51940)
nerated from eOffice by KAILASH CHANDRA BATURI, PO-Finance Section-I-KCB, PO-FINANCE, Finance Department on 10/09/2025 10:22 am

(21) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 की अनुदान संख्याः 07 के निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगाः–

क.सं.	मानक मद का विवरण	टाईड अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम किश्त का वित्तीय वर्ष 2025–26 प्रस्तावित अंतरण (ह0रू0 में)
1–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–02–नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	315510
2–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–04–नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	223289
3–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–06–नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	52345
योग (रू0 उनसठ करोड़ ग्यारह लाख चवालीस हजार मात्र)		591144

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,
Digitally signed by Ganga Prasad
Date: 09-09-2025 17:26:26
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्याः 3289/I/V E-51940/FCD/IRFC/FFCG/6/2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त संबंधित मुख्य/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/ उप कोषाधिकारी, देहरादून।
10. समस्त संबंधित मुख्य नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी/ मुख्य अधिशासी अधिकारी–नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

No. FCD-IRFC/FFCG/6/2023-FCD-Finance Department (Computer No. 51940)
erated from eOffice by KAILASH CHANDRA BATUBI, PO-Finance Section-I-KCB, PO-FINANCE, Finance Department on 10/09/2025 10:33 am

संलग्नक–1

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में आबद्ध / निर्दिष्ट अनुदान **(Tied Grant)** के अन्तर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम किश्त का वित्तीय वर्ष 2025–26 में अन्तरण

(धनराशि हजार रू0 में)

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	आबद्ध / निर्दिष्ट अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम किश्त का वित्तीय वर्ष 2025–26 में अंतरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1–नगर निगम:–				
1-	देहरादून	1	देहरादून	106726
		2	ऋषिकेश	14506
2-	हरिद्वार	3	हरिद्वार	31493
		4	रूड़की	25734
3-	नैनीताल	5	हल्द्वानी	33024
4-	ऊधमसिंह नगर	6	काशीपुर	23182
		7	रूद्रपुर	25879
5-	पौड़ी गढवाल	8	कोटद्वार	20704
		9	श्रीनगर	9112
6-	अल्मोड़ा	10	अल्मोड़ा	10570
7-	पिथौरागढ़	11	पिथौरागढ़	14580
योग (1) नगर निगम				315510
2–नगर पालिका परिषद				
1-	चमोली	1	गोपेश्वर	7290
		2	गौचर	4957
		3	कर्णप्रयाग	4593
2-	चम्पावत	4	चम्पावत	4811
		5	टनकपुर	5394
		6	लोहाघाट	1968
3-	देहरादून	7	मसूरी	17715
		8	विकासनगर	6852
		9	डोईवाला	13122
		10	हरबर्टपुर	3791
4-	हरिद्वार	11	मंगलौर	11300
		12	लक्सर	6196
		13	शिवालिक नगर	7946

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	आबद्ध/ निर्दिष्ट अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम किश्त का वित्तीय वर्ष 2025–26 में अंतरण
1	2	3	4	5
5-	नैनीताल	14	नैनीताल	12830
		15	रामनगर	12903
		16	भवाली	4228
6-	पौड़ी गढ़वाल	17	दुगड्डा	3791
7-	पिथौरागढ़	18	धारचूला	4811
		19	डीडीहाट	4811
		20	बेरीनाग	1531
8-	रूद्रप्रयाग	21	रूद्रप्रयाग	5249
9-	टिहरी	22	मुनिकीरेती–ढालवाला	7946
		23	चम्बा	3280
		24	देवप्रयाग	4884
10-	ऊधम सिंह नगर	25	बाजपुर	7290
		26	जसपुर	11955
		27	खटीमा	12539
		28	सितारगंज	7727
		29	महुआखेड़ा गंज	3718
11-	उत्तरकाशी	30	उत्तरकाशी	8675
		31	बड़कोट	4593
		32	चिन्यालीसौंण	4593
योग (2) नगर पालिका परिषदें–				223289
3–नगर पंचायतें–				
1-	अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	1166
		2	भिक्यासैंण	1021
2-	बागेश्वर	3	कपकोट	875
3-	चमोली	4	नन्दप्रयाग	1531
		5	गैरसैंण	2333
		6	पोखरी	1604
		7	थराली	1166
		8	पीपलकोटी	1677
4-	चम्पावत	9	बनबसा	948
5-	हरिद्वार	10	झबरेड़ा	2406
		11	लण्ढौरा	3937
		12	भगवानपुर	2479
		13	पीरान कलियर	4228
6-	पौड़ी गढ़वाल	14	जौंक (स्वर्गाश्रम)	2260
7-	टिहरी गढ़वाल	15	कीर्तिनगर	1677
		16	गजा	948

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	आबद्ध/ निर्दिष्ट अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम किश्त का वित्तीय वर्ष 2025–26 में अंतरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*
8-	नैनीताल	17	लालकुँआ	1750
		18	भीमताल	3937
9-	ऊधमसिंह नगर	19	महुआडाबरा हरिपुरा	1823
		20	सुल्तानपुर	2260
		21	केलाखेड़ा	2479
		22	दिनेशपुर	2697
		23	शक्तिगढ़	1895
		24	नानकमत्ता	1312
10-	उत्तरकाशी	25	पुरोला	2478
		26	नौगॉव	1458
योग		69		52345
महायोग (1+2+3)				591144

(रू0 उनसठ करोड़ ग्यारह लाख चवालीस हजार मात्र)

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

Digitally signed by Ganga Prasad
Date: 09-09-2025 17:27:13

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25090070092
आवंटन पत्र दिनांक-10-SEP-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	06-नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	6

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	16076	52345000	16076	52361076
योग	16076	52345000	16076	52361076

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.5,23,45,000 (Rupees Five Crores Twenty Three Lacs Forty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2509:0007
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

K.K. Pandey
Section Officer
Finance Section-1
Govt. of Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25090070091
आवंटन पत्र दिनांक-10-SEP-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा सम्नुदेशन	00--	
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना	
	04-नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)		Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	55939	223289000	55939	223344939
योग	55939	223289000	55939	223344939

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.22,32,89,000 (Rupees Twenty Two Crores Thirty Two Lacs Eighty Nine Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2509:0006
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

K.K. Pandey
Section Officer
Finance Section-1
Govt. of Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25090070090
आवंटन पत्र दिनांक-10-SEP-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	02-नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	59469	315510000	59469	315569469
योग	59469	315510000	59469	315569469

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.31,55,10,000 (Rupees Thirty One Crores Fifty Five Lacs Ten Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2509:0005
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

K.K. Pandey
Section Officer
Finance Section-1
Govt. of Uttarakhand